FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 18 **Date**: 17-07-13

2. **Act(s)**: **Section(s)**

   (i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 — 13(1) e, PC ACT

   (ii)

   (iii)

   (iv)

3. **Occurrence of Offence:**

   (a) **Day**: wednasday **Date From**: 17-07-2013 **Date To:** : 17-07-2013

   Time Period: **Time From:** **Time To**:

   (b) **Information received at P.S: Date:** : 17-07-2013 **Time**: 03-20 PM

   (c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 09 **Time:** 03-20 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

   (a) Direction and Distance from P.S.: Nor**th 110 K.M.** **Beat No**.:

   (b) Address : SVB, unit Karnal

   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:

   Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

6. **Complainant/Informant**:

   (a) **Name:** Inspector Rohtash Kanwar

   (b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

   (c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

   (d) **Occupation:**

   (e) **Address:** SVB unit,Sonepat

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

   Prem Pal Sub Inspector, Food and Supply Department, Karnal

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:
9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	**Property Type(Description)**	**Est. Value(Rs.)**	**Status**
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:
11. Inquest Report/U.D Case No., if any
12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, रोहतक मण्डल, रोहतक। श्री मान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 5 दिनांक 04.04.12 करनाल महानिदे ाक, राज्य चौकसी ब्यूरो,(ह0)पचंकूला के पृ0क्र0 4378–79/आई–1, रा0 चौ0 ब्यू0(ह0) दिनरांक 11.04.2012 के आदे ाानुसार दर्ज होकर पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यू0(ह0) मण्डल, रोहतक के डायरी न0 1227 दिनांक 16.04.2012 के अनुसार जांच हेतू प्राप्त हुई है। जिसमें अन्य आरोपों के अलावा आरोप न0 2 यह था कि श्री प्रेमपाल उप निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग करनाल के पिता के पास 2 एकड कृशि भूमि थी तथा ये तीन भाई है, दो भाई मण्डी में मुनिमी का कार्य करते है। इसके हिस्से में केवल 5 कनाल भूमि ही आती है। इस कर्मचारी ने डिपो होल्डरों से महीना वसूल करके भ्रश्टाचार फैलाकर आय से अधिक सम्पति अर्जित की है। जिसका विवरण इस प्रकार है(1) वार्ड न0 13 में 7 मरले का एक प्लाट(जो रामफल मिस्त्री के बराबर मे स्थित है) जो पवन सिंगला वासी इन्द्री से 6 लाख रू0 मे मोल लिया है,(2) वार्ड न0 13 इन्द्री में 7 मरले की कोठी 25 लाख रू0 में चरणदास से खरीदी है(3) वार्ड न0 1 डेरा बुद्वनाथ इन्द्री में एक 10 मरले का एक प्लाट मेहम सिह राजेपुर से खरीदा है और जिसकी रजिस्टरी कम पैसे मे करवाई थी। इन दिनों इस प्लाट की कीमत 50 लाख रू0 है(4) इनके अतिरिक्त मै0 राज कुमार हरी ारण आढती से अनाज मण्डी इन्द्री में एक दुकान 21 लाख रू0 मे खरीदी है(5) दीवान फार्म इन्द्री के पास एक प्लाट 14 मरले का 21 लाख रू0 में दीवान ट्रेडिंग कम्पनी इन्द्री से खरीदा है(6)निरंकारी कालोनी इन्द्री में 9 मरले का एक प्लाट जो मण्डाण जे0सी0बी0 वाले से लिया है, का है(7)वार्ड न0 13 इन्द्री मे एक कोठी खरीद करके किराये पर दे रखी है(जिसमे अब यह रह रहा है, यह कोठी उसके नजदीक ही खरीदी गई है) (8) एक आल्टो कार एच0आर029आर0–0059 जोगेन्द्र इन्सपैक्टर फूड एण्ड सप्लाई से खरीद की है और भापथ पत्र उस से ले लिया है, अभी अपने नाम कागज नही चढवाये है(9)एक बुल्ट मोटरसाईकिल न0 एच0आर075–0531 खरीद की गई है(10) एक मोटर साईकिल हीरो हाण्डा साईन न0 एच0आर075–1611 खरीद की है। जिसकी जांच निरीक्षक सुरे ा कुमार रा0चौ0ब्यू0सोनीपत द्वारा की गई। जो जांच में पाया गया कि प्रतिवादी श्री प्रेमपाल उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, करनाल दिनांक 31–12–86 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मे चपडासी नियुक्त हुआ था, जिसकी नियुक्ति तिथि से दिनांक 04.04.12(ि ाकायत दर्ज तिथि) तक कुल वेतन 11,77,585/–रू0 बनता है, जिसकी 40 प्रति ात बचत आय 4,71,034/–रू0 बनती है और उक्त अवधि मे प्रतिवादी द्वारा कुल 1933071/–रू0 की सम्पति अर्जित की है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा 14,62,037/–रू0 की सम्पति आय

से अधिक अर्जित की जानी पाई गई। प्रतिवादी के बैंक खातो की भी पडताल भारतीय स्टेट बैंक, करनाल व इन्द्री, पंजाब नै ानल बैंक करनाल, एक्सस बैंक करनाल व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक करनाल से की गई। पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी का एक बैंक खाता न0 30405059804 दिंाक 17.06.2008 भारतीय स्टेट बैंक भााखा इन्द्री मे चालु है, जिसमें 77,953 /-रू0 बैंक बैलेन्स पाया गया, जो कि प्रतिवादी प्रेमपाल का वेतन का बैंक खाता है। प्रतिवादी प्रेमपाल का दूसरा बैंक खाता न0-394010100028787 एक्सस बैंक करनाल मे चालू पाया गया है, जिसमें 44,158 रू0 बैंक बैलेन्स पाया गया है। प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति सन्तोश के नाम डाकघर इन्द्री जिला करनाल मे खाता न0-909057 दिनांक 5.2.1994 चालू है, जिसमें 4,95,705 /-रू0 बैलेन्स पाया गया है। वार्ड न0 13 मे प्रतिवादी द्वारा दो प्लाट जिसमेक एक प्लाट 98.08 वर्ग गज जिसमे दो कमरे बने हुए है, रजिस्टरी न0 100 दिंनाक 28.04. 2000 अनुसार स्टाम्प डयूटी सहित कुल 81000 /-रू0 मे देसराज पुत्र श्री ताराचन्द वासी वार्ड न0 10 गुढा इन्द्री से खरीद किया पाया है व दूसरा प्लाट 7 मरले रजिस्टरी न0 1261 दिनांक 4-11-09 अनुसार प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी के नाम कुल 5,83,550 /-रू0 में भाम ेर पुत्र श्री चन्दा सिंह वासी गुढा से खरीद किया जाना पाया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने नाम पर एक प्लाट 266.34 वर्ग गज स्टाम्प डयूटी सहित 1,92,810 /-रू0 में रजि0 न0 652 दि0 4-07-03 अनुसार मेहम सिह पुत्र श्री सरदारा वासी राजेपुर से खरीद किया जाना पाया गया है। एक दुकान/बूथ न0 49 साईज 12×27.50 अनाज मण्डी मार्किट ब्याना मे अलाटमैन्ट आर्ड 63 दि0 24.02.06 अनुसार 1,65,000 /-रू0 मे प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी व प्रतिवादी के नाम किस्तों मे खरीद की जानी पाई गई है। यह दुकान/बूथ किसी राज कुमार, हरि ारण आढती से 21 लाख रू0 मे खरीद की जानी नही पाई गई है। प्रतिवादी द्वारा एक प्लाट 7 मरले गांव गुढा इन्द्री मे रजिस्टरी न0 578 दि0 26.06.01 अनुसार अपनी पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी के नाम कुल 50,000 /-रू0 मे राज कुमार पुत्र पूर्ण चन्द वासी इन्द्री से खरीद किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा एक प्लाट 152.89 वर्ग गज जिसमें 100 वर्ग गज में मकान बना हुआ है, गांव मटक माजरी तहसील इन्द्री करनाल मे अपनी पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी के नाम रजिस्टरी न0 80 दिनांक 20.04.10 अनुसार कुल 2,14,210 /-रू0 मं सुद ान पुत्र श्री रामचन्द्र वासी मटक माजरी से खरीद किया जाना पाया गया व प्रतिवादी द्वारा एक प्लाट 90.27 वर्ग गज अपनी पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी के नाम रजिस्टरी न0 792 दि0 15-7-10 अनुसार कुल 2,02,600 /- रू0 में राजबीर पुत्र श्री फूल सिह वासी समयपुर से खरीद किया जाना पाया गया। श्री प्रेम पाल द्व ारा आल्टो कार एच0आर029आर0- 0059 भापथ पत्र के माध्यम से 2,00,000 /-रू0 मे जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री हरफूल सिह वासी म0न0 1 माडल कालोनी इन्द्री जिला करनाल से खरीद करनी पाई गई है। श्री प्रेमपाल एक बुल्ट मोटर साईकिल न0 एच0आर075-0531 जो 73,200 /- रू0 मे अपनी माता ई ा देवी के नाम से खरीद करनी पाई गई है। श्री प्रेमपाल ने एक मोटर साईकिल हीरो हाण्डा साईन न0 एच0आर075-1611 जो 48,590 /-रू0 म अपनी पत्नि श्रीमति सन्तोश देवी के नाम से खरीद की जानी पाई गई है। पडताल पर पाया गया कि प्रतिवादी प्रेमपाल उप निरीक्षक द्वारा अवैध तरीके से 14,66,410 /-रू0 की आय से अधिक सम्पति अर्जित की है। इसलिए प्रतिवादी प्रेमपाल उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, करनाल के विरूद्व भ्रश्टाचार अधिनियम की धारा 13(1) ई0 के अर्न्तगत अभियोग अंकित करने का सुझाव देकर सरकार को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव, हरियाणा

सरकार, चौकसी विभाग के पृ0 क्र0 55/3/12–3 चौकसी(II) दिनांक 28.05.13, महानिदे ाक, रा0चौ0ब्यू0ह0,पचंकूला के पृ0क्र0 8766/आई–1/रा0चौ0ब्यू0ह0 दिनांक 07.06.13 व पुलिस अधीक्षक, राव0चौ0ब्यू0ह0 रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्र0 1413 दिनांक 7–6–13 अनुसार प्राप्त हुई है, जिसमे प्रतिवादी श्री प्रेमपाल उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, करनाल के विरूद्व भ्रश्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13(1) ई0 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने का आदे ा प्राप्त हुआ है। लिहाजा तहरीर हजा मय जांच से सम्बन्धित रिकार्ड बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही सन्दीप कुमार न0 347/करनाल के थाना रा0चौ0ब्यू0रोहतक सेवा मे अरसाल है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा मे भिजवाई जावे और मुकदमा मे अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर मि ाल मुकदमा व सम्बन्धित रिकार्ड हवाले अनुसंधान अधिकारी किया जावे। हस्ता अंग्रेजी रोहता ा कंवर निरीक्षक, रा0चौ0ब्यू0(ह0) उपकेन्द्र, सोनीपत। 17–7–13 अज कार्यालय एस0वी0बी0/सोनीपत, अज थानाः–आमदा तहरीर सपर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्ट्र करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गर्ठ जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जा रही है, स्पे ाल रिपोर्ट आरिन्दा सिपाही सन्दीप कुमारक न0 347/करनाल द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, करनाल भेजी गई। नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर मय जांच क्रमांक 5/12 करनाल का रिकार्ड अफसरान बाला से अदे ा प्राप्त करके आगामी तफती ा हेतू अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जावेगा।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**
(ii) Directed(Name of the I.O.):
Rank: Insp.
No.: **to take up the investigation,OR**

(iii) Refused investigation due to:
OR

(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Karambir Singh
Rank: Sub Insp. No.428/RTK

15 Date and Time of despatch to the court: बदस्त सि0 सन्दीप कुमार 347/करनाल